राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2020 अपील

1. सुशीला देवी पत्नि उदयलाल अहीर,, निवासी–10–सी–42, सेक्टर नम्बर 10, तिलक नगर, वार्ड नं. 40, तहसील व जिला भीलवाडा
2. भगवान अहीर पुत्र उदयलाल अहीर, निवासी–10–सी–42, सेक्टर नम्बर 10, तिलक नगर, वार्ड नं. 40, तहसील व जिला भीलवाडा
3. नीतु अहीर पुत्री उदयलाल अहीर, निवासी–10–सी–42, सेक्टर नम्बर 10, तिलक नगर, वार्ड नं. 40, तहसील व जिला भीलवाडा
4. मुकेश अहीर पुत्र उदयलाल अहीर, निवासी–10–सी–42, सेक्टर नम्बर 10, तिलक नगर वार्ड नं. 40, तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. राजु अहीर पुत्र उदयलाल अहीर, निवासी–मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
2. सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पिता उदयलाल निवासी–मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
3. टीना पुत्री उदयलाल अहीर निवासी–मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
4. जेती पत्नि गोकल अहीर, निवासी–मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
5. प्रेम देवी पत्नि स्व. कन्हैयालाल अहीर, निवासी–मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
6. मीना पुत्री कन्हैयालाल निवासी–मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
7. पिंकी पुत्री कन्हैयालाल निवासी मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाडा रोड, भीलवाड़ा
8. बबलु पुत्र कन्हैयालाल नाबालिग सरंक्षक माता प्रेम देवी अहीर, निवासी मोती बावजी खाखरे वाले सगस जी के सामने, पथिक नगर, कुवाड़ा रोड़, भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

विरूद्ध नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 16/09/2017 पटवार हल्का भीलवाड़ा सांगानेरी गेट

1. श्री श्रवण सेन, उदयलाल शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुरेशदास वैष्णव अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से लगायत 08 की ओर से

दौराने बहस अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 10.11.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 16.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम केवाड़ा पटवार क्षेत्र भीलवाड़ा, मे स्थित आराजी नम्बर 281 रकबा 02 बिस्वा,

अति जिला कलक्टर

नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 08 की ओर से जवाब पेश किया गया। दौराने बहस विपक्षी संख्या 01 से लगायत 08 के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजियात संयुक्त खातेदारी होकर अपीलार्थीगण के पिता उदयलाल पुत्र गोकल अहीर के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर चली आ रही है। अपीलार्थीगण के पति एवं पिता उदयलाल अहीर पुत्र गोकल अहीर की मृत्यु दिनांक 17/03/2007 को हो गई तथा उनके नाम की जमीन का नामान्तरण अपीलार्थी सुशीला देवी की सास जेती पत्नि गोकल अहीर ने 8 वर्ष से नामान्तरण नहीं खुलवाया तथा अपीलार्थीगण को अन्धेरे मे रखकर उदयलाल के जाइंदा पुत्रों एवं पत्नि सुशीला देवी, भगवानलाल, नीतु, मुकेश का अपने हक हिस्से से वंचित कर गलत सजरा पेश कर राजु, सुरेश व टीना के नाम पर नामान्तरण खुलवाया जो गलत होकर खारिज होने योग्य है। पटवार हल्का भीलवाडा द्वारा नामान्तरण खोला गया जो अपीलार्थीगण को बिना सुने ही खोला गया जो विधि द्वारा सुस्थापित नियमों की पालना नहीं की गई जो अपास्त होने योग्य है। नामान्तरण फैसल करने से पूर्व नामान्तरण की विधिक प्रक्रियाओं की पालना नही की व कब्जे की जांच किये बिना ही नामान्तरण खोला गया जो गलत हैं। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया संख्या जाकर नामान्तरण संख्या 997/2017 दिनांक 16/09/2017 पटवार हल्का भीलवाड़ा को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा को पारित फरमाया जावे।

विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित किया गया कि ग्राम केवाडा के नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 16.09.2017 नियमानुसार होने से अपील निरस्त की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069–2072 एवं अन्य दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा ने प्रश्नगत प्रकरण में उदयलाल पिता गोकल अहीर के सम्पूर्ण वारिसान की जांच किये बिना एवं अपीलार्थी को सुने बिना ही नामान्तरकरण संख्या 997 पारित किया गया, जो

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विधिनुरूप नही होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि उदयलाल अहीर कि मृत्यु उपरांत अधीनस्थ न्यायालय को उदयलाल की सम्पूर्ण विरासतन जांच कर प्रश्नगत आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विरासत का नामान्तरकरण पारित नही करके विधिक त्रुटि की हैं।

अतः नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में एक बार सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा ग्राम केवाडा पटवार हल्का भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांकित 16.09.2017 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थीगण की सुनवायी की जाकर तथा समस्त दस्तावेजात एवं विधिक वारिसान की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थीगण को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता हैं कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के यहां दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा